REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062025-264187 CG-DL-E-27062025-264187

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 2025/आषाढ़ 5, 1947No. 374]NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2025/ASHADHA 5, 1947

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2025

सा.का.नि. 417(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल), ईमेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है।

# प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को मोटर यान (......संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

4195 GI/2025

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में नियम 50 में उप-नियम (2क) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत्:-

"2ख. हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों के मामले में, पंजीकरण चिह्न नीचे दिए अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।



<sup>[</sup>फा. सं. आरटी-11028/05/2025-एमवीएल] महमद अहमद.अवर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून,1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार दिनांक ...... द्वारा संशोधित किए गए थे।

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

#### New Delhi, the 25th June, 2025

**G.S.R. 417(E).**—The following draft rules to further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001.

## **DRAFT RULES**

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 50, after sub-rule (2A), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"2B. In case of hydrogen fuel operated vehicles, the registration mark shall be exhibited as per below.



MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. .....(E) dated the.....